भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **- 3342**

दिनांक **08.08.2025** को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश में भारतीय कामगार

3342. श्री राजा राम सिंहः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा विदेशों में रोजगाररत भारतीय कामगारों के विदेशवार डाटा का अनुरक्षण किया जाता है और इस बात का ब्यौरा भी रखा जाता है कि उनकी नौकरी संविदा पर है, स्थायी है या बिना दस्तावेज वाली है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है,

(ख) भारतीय कामगारों को विदेश भेजने का कार्य करने बाली भर्ती एजेंसियों या कंपनियों की सूची क्या है और उनके संचालन को नियंत्रित करने वाले नियामक तंत्र क्या हैं;

(ग) क्या मंत्रालय को भारतीय प्रवासी कामगारों, विशेषकर खाड़ी देशों और दक्षिण-पूर्व एशिया में, कम भुगतान करने, वेतन चोरी और खराब कार्य स्थितियों की व्यापक रिपोटों की जानकारी है और यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(घ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान श्रम अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में भारतीय मिशनों को प्राप्त शिकायतों या अभ्यावेदनों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार ऐसे कामगारों के लिए निगरानी, कानूनी सहायता और प्रत्यावर्तन सहायता को मजबूत करने और शोषण को रोकने के लिए भर्ती पद्धति पर सख्त निगरानी लागू करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्तवर्धन सिंह **]**

(क) मंत्रालय, उन भारतीय कामगारों के आंकड़े रखता है, जिनके पास उत्प्रवास जाँच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट हैं और जो ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से 18 अधिसूचित ईसीआर श्रेणी के देशों में से किसी में भी रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं। पिछले पाँच वर्षों में, 01 जनवरी 2020 से 30 जून 2025 तक, कुल 16,06,964 भारतीय कामगारों को उत्प्रवास मंज़ूरी (ईसी) जारी की गई है। पिछले पाँच वर्षों में प्रदान की गई, ईसी की संख्या का देश-वार डाटा अनुबंध-क में दिया गया है।

(ख) उत्प्रवास मंजूरी अपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के पासपोर्ट वाले भारतीय कामगारों के उत्प्रवासन और 18 ईसीआर देशों में से किसी में भी विदेशी रोज़गार के लिए आगे बढ़ने की प्रक्रिया, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत विनियमित होती है, जिसका प्रशासन विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा विदेशी रोज़गार (ओई) और उत्प्रवासी महासंरक्षक (पीजीई) प्रभाग के माध्यम से किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति/एजेंसी पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना, भर्ती एजेंट/एजेंसी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। पंजीकृत भर्ती एजेंटों (आरए) का विवरण ई-माइग्रेट पोर्टल (लिंक: https://emigrate.gov.in/#/emigrate) पर उपलब्ध है।

मंत्रालय, देश में पंजीकृत भर्ती एजेंटों (आरए) को विनियमित करने के लिए समय-समय पर उचित उपाय करता है और दिशानिर्देश जारी करता है। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 10 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति/एजेंसी पंजीकरण प्राधिकारी अर्थात उत्प्रवासी महासंरक्षक (पीजीई) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) के बिना, भर्ती एजेंट (आरए) के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। आरए के पंजीकरण की प्रक्रिया, एक वेब-आधारित एप्लिकेशन अर्थात ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से की जाती है जो आरए, विदेशी नियोक्ताओं (एफई) और संभावित उत्प्रवासियों सहित सभी हितधारकों को एक साझा प्लैटफ़ार्म पर लाता है। जब भी किसी पंजीकृत भर्ती एजेंट के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 14 के अंतर्गत संबंधित भर्ती एजेंट को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया जाता है, जिसमें उन्हें शिकायत का समाधान करने का निर्देश दिया जाता है। यदि, आरए एससीएन का जवाब देने में विफल रहता है या उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 14(2) के अनुसार उनकी आरसी को 30 दिनों के लिए रद्द या निलंबित किया जा सकता है। निलंबन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी हितधारकों के परामर्श के बाद और यह सुनिश्चित करने के बाद ही रद्द किया जा सकता है कि, शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुसार शिकायत का पूर्ण समाधान हो गया है। मंत्रालय ई-माइग्रेट पोर्टल पर अपंजीकृत आरए की सूची भी प्रकाशित करता है। इस पोर्टल पर धोखेबाज/अवैध भर्ती एजेंसियों के बारे में सलाह/चेतावनी भी दी जाती है। मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से अपंजीकृत/अवैध आरए के माध्यम से अवैध प्रवास के विरुद्ध भी कार्रवाई करता है।

(ग) और (घ) विदेश स्थित भारतीय मिशनों को कामगारों, विशेषकर घरेलू क्षेत्र के कामगारों से शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिनमें खराब परिस्थितियों में काम करना, वेतन का भुगतान न होना या भुगतान में देरी, चिकित्सा सुविधाओं जैसे अन्य लाभों से इन्कार, भारत आने के लिए छुट्टी देने से इनकार या निकास/पुनः प्रवेश परमिट देने से इन्कार, संविदा पूरा होने के बाद कामगारों को भारत लौटने के लिए अंतिम निकास वीज़ा देने से इन्कार, नियोक्ताओं द्वारा दुर्व्यवहार आदि शामिल हैं। घरेलू नौकरानियों को उनके प्रायोजकों द्वारा बंधक बनाए रखने, शारीरिक शोषण और त्याग दिए जाने की घटनाएँ भी सामने आई हैं। अधिकांश शिकायतें ऐसे कामगारों से संबंधित हैं जिनके पास उचित रोजगार संबंधी संविदा नहीं हैं और जो भारत से ईसीआर कामगारों की भर्ती के सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से प्रवास कर गए हैं।
सरकार के संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ संदिग्ध फर्म फर्जी भर्ती नौकरियों के प्रस्तावों में शामिल हैं, जो भारतीय नागरिकों को मुख्यतः दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से इन देशों में चल रहे स्कैम केंद्रों से साइबर अपराध और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियाँ करवाती हैं। इन देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सही संख्या ज्ञात नहीं है क्योंकि भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से धोखेबाज/बेईमान भर्ती एजेंटों/एजेंसियों और अवैध माध्यमों से इन धोखेधड़ी वाले केंद्रों तक पहुँचते हैं।

(ड.) भारत सरकार खाड़ी देशों और दक्षिण-पूर्व एशिया सहित विदेशों में भारतीय कामगारों की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। भारतीय कामगारों को किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर दूतावास/कोंसलावास तक पहुँचने में सक्षम बनाने के लिए स्थापित चैनल हैं। वे वाक-इन, ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबरों, व्हाट्सएप नंबर, शिकायत निवारण पोर्टल जैसे मदद/सीपीग्राम्स/ई-माइग्रेट और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से दूतावास/कोंसलावास से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे मामलों का निपटान करने के लिए समर्पित श्रम विंग हैं। भारतीय कामगारों को मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली, दुबई, रियाद, जेद्दा और कुआलालंपुर जैसे प्रमुख स्थानों पर प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

भारतीय कामगारों से शोषण की शिकायतें प्राप्त होने पर, खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों सहित विदेशों में स्थित मिशन/केंद्र, शिकायत के निवारण के लिए विदेशी नियोक्ताओं/प्रायोजकों/स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों के साथ-साथ भर्ती एजेंटों से संपर्क करने सहित शीघ्र कार्रवाई करते हैं।

इसके अलावा, सरकार ने प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) और प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास एवं प्रशिक्षण (पीडीओटी) जैसी कई पहलें की हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय प्रवासी कामगार सुरक्षित प्रवास करें, गंतव्य देशों में उन्हें अच्छे कार्य और रहने की स्थिति मिले, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच हो।

विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले भारतीय कामगारों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और उनकी शिकायतों, यदि कोई हैं, का समाधान करने के लिए नियमित रूप से ओपन हाउस और

कोंसली शिविर आयोजित करते हैं। प्रवासी की ओर से या उनसे कोई शिकायत प्राप्त होने पर, संबंधित विदेशी नियोक्ता (एफई) के साथ मामले को सक्रिय रूप से उठाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर पीड़ित कर्मचारी के कार्यस्थल का भी दौरा किया जाता है। रोज़गार संबंधी समस्याओं को शीघ्र समाधान के लिए मेजबान देश के स्थानीय श्रम विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों के समक्ष भी उठाया जाता है।

इसके अलावा, महिला कामगारों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में, सरकार ने केवल राज्य द्वारा संचालित भर्ती एजेंसियों (आरए) को ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से खाड़ी और अन्य अधिसूचित ईसीआर देशों में विदेशी रोजगार के लिए ईसीआर श्रेणी के पासपोर्ट धारक भारतीय महिला घरेलू क्षेत्र के कामगारों की भर्ती के लिए अधिकृत किया है। इसके अलावा, शोषण से उनकी सुरक्षा हेतु विदेशी रोजगार के लिए ईसीआर श्रेणी के पासपोर्ट धारक महिला कामगारों के लिए न्यूनतम आयु मानदंड 30 वर्ष है।
दूतावास/कोंसलावास भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का उपयोग समय-समय पर संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को साधन-परीक्षण के आधार पर वित्तीय और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए करता है। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत, प्रमुख सहायता में बोर्डिंग और लॉजिंग, भारत के लिए हवाई यात्रा, कानूनी सहायता, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, भारत में पार्थिव शरीर का परिवहन और छोटे जुर्माने और शास्ति का भुगतान शामिल है।

अनुबंध- क

पिछले पांच वर्षों **(01.01.2020** से **30.06.25)** के दौरान वर्ष-वार और देश-वार प्रदान की गई ईसी की कुल संख्या							
देश	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	कुल
बहरीन	4,175	6,383	10,232	7,376	8,607	3,634	40,407
इंडोनेशिया	1		3		3	7	14
इराक	759	935	1,430	1,599	2,761	791	8,275
जॉर्डन	317	2,386	2,487	1,187	3,137	1,024	10,538
कुवैत	8,107	10,158	71,432	48,212	39,862	24,188	201,959
लेबनान	21	54	282	200	130	6	693

मलेशिया	2,435	36	12,836	15,319	5,606	1,820	38,052
ओमान	7,206	19,453	31,994	21,336	24,258	12,593	116,840
कतर	8,907	49,579	30,871	30,683	23,785	9,676	153,501
सऊदी अरब	44,316	32,845	178,622	200,713	167,598	71,175	695,269
दक्षिण सूडान		1	1			19	21
सूडान					2		2
थाईलैंड	10	1	3	4	10		28
संयुक्त अरब अमीरात	17,891	10,844	33,233	71,688	111,308	96,401	341,365
कुल	94,145	132,675	373,426	398,317	387,067	221,334	1,606,964

*****